(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 13th January, 2026

Amendment

No. 9-6/2024-U.3(A): Ministry of Education's Notification of even number dated 22.04.2025 published in the Gazette of India, Weekly, Part-I, Section-I dated 03-09 May, 2025 whereby Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Eastern Metropolitan Bypass, Panchasayar, Kolkata, West Bengal was declared as an Institution Deemed to be University under distinct category under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2. **And further whereas,** the administrative Ministry of SRFTI and Vice-Chancellor, SRFTI submitted that Itanagar Campus (Arunachal Pradesh) of SRFTI has not been included in the Notification whereas the same was inspected by the UGC Expert Committee.

3. **And whereas**, the matter was referred to UGC for examination and advice. In response, UGC, vide its letter dated 17.12.2025, informed that the Film and Television Institute, Itanagar Campus may be considered as a constituent unit of SRFTI.

4. **Now, therefore,** in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby amends the said Notification to the extent that the following shall be inserted in paragraph 5 thereof:

"The Itanagar Campus (Arunachal Pradesh) of Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), West Bengal shall be treated as a constituent unit of Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Deemed to be University, West Bengal."

5. Save as aforesaid, all other terms and conditions contained in the Notification of even number dated 22.04.2025 shall remain unchanged and in force.

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Joint Secretary (Films), Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.

3. The President, SRFTI Society, Kolkata, West Bengal.
4. The Vice-Chancellor, Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Eastern Metropolitan Bypass, Panchasayar, Kolkata, West Bengal.
5. The Secretary, Department of Higher & Technical Education, Government of West Bengal.
6. The Secretary, Department of Higher & Technical Education, Government of Arunachal Pradesh.
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
9. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi (for uploading on website).
10. PS to Hon'ble Education Minister
11. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Telephone No.23381578

(भारत के राजपत्र भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 13 जनवरी, 2026

संशोधन

सं. 9-6/2024- यू.3(ए): दिनांक 03-09 मई, 2025 के भारत के राजपत्र, साप्ताहिक, भाग-I, खंड-I में प्रकाशित शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 22.04.2025 की समसंख्यक अधिसूचना जिसके द्वारा सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), पूर्वी महानगर बाईपास, पंचसायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया गया था।

2. **और इसके अतिरिक्त जबकि,** एसआरएफटीआई के प्रशासनिक मंत्रालय और कुलपति, एसआरएफटीआई ने बताया कि एसआरएफटीआई के ईटानगर परिसर (अरुणाचल प्रदेश) को अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है, जबकि यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था.

3. **और जबकि**, मामले को जांच और सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया था। इसके प्रत्युत्तर में, यूजीसी ने दिनांक 17.12.2025 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ईटानगर परिसर को एसआरएफटीआई की एक घटक इकाई के रूप में माना जा सकता है।

4. **अत: अब,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद द्वारा यूजीसी की सलाह पर, इस सीमा तक उक्त अधिसूचना में संशोधन करता है कि निम्नलिखित को उसके पैरा 5 में शामिल किया जाएगा:

"सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), पश्चिम बंगाल के ईटानगर परिसर (अरुणाचल प्रदेश) को सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), सम विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल की एक घटक इकाई के रूप में माना जाएगा।"

प्रीक्

5. पूर्वोक्त को छोड़कर, दिनांक 22.04.2025 की समसंख्या की अधिसूचना में निहित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित और लागू रहेंगी।

पू.कि.बनर्जी

(पूर्णेन्दु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड़, नई दिल्ली - 110002

<u>प्रति अग्रेषित</u>:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, एसआरएफटीआई सोसायटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
4. कुलपति, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), पूर्वी महानगर बाईपास, पंचसायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
5. सचिव, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार।
6. सचिव, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार।
7. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2।
9. वेब मास्टर उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)।
10. माननीय शिक्षा मंत्री के निजी सचिव
11. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

रंजन

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष. 23381578